XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 4235-I/14 जिला -- जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-8-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 323/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 3-12-14 से परिवेदित म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा कलेक्टर ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि विकय का आवेदन निरस्त किया गया है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा ग्राम पड़रिया प.ह.नं. 63 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 241 रकबा 2.870 में से 0.800 हैक्टर एवं मौजा बरबटी स्थित भूमि खसरानं. 96 रकबा 0.05 हैक्टर के विकय की अनुमति हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में दिया गया था। उक्त आवेदन पर से कलेक्टर ने एस.डी.ओ. से जांच कराई गई । एस. डी.ओ. द्वारा तहसीलदार से जांच कराकर अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया जिसमें भूमि विकय की अनुशंसा की गई किंतु कलेक्टर ने उक्त प्रतिवेदनों को अनदेखा कर यह मानकर कि भूमि विकय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा अंतरण संदेहास्पद है, भूमि विकय के आवेदन को निरस्त किया है जो न्यायसंगत नहीं है । आवेदक का तर्क है कि कलेक्टर का यह निष्कर्ष कि आवेदक ने खसरा नं. 96 रकबा 0.05 हैक्टर भूमि 13-6-14 को कय की गई है और विकय का अनुबध 23-6-14 को अनावेदक पक्ष से किया है जिससे अंतरण संदेहास्पद हो जाता है, विधि विरूद्ध है क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भूमि कय करने के उपरांत उसका अंतरण नहीं किया जा	

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक :- /2014 जिला-जबलपुर म0प्र0
R 4235-I/14

आवेदक :- चरनलाल मार्को पिता श्री धरमू मार्को,
निवासी-452 डुंगरिया पड़रिया तहसील
व जिला जबलपुर म0प्र0

विरूद्ध

अनावेदक :- म0प्र0 शासन

19-12-14

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 323/अ-21/20
में पारित आदेश दिनांक 03.12.2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,
की धारा-50 के अधीन पुनरीक्षण।

19/12/14

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधा
पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :-

(1) यह कि, आवेदक अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, तथा आवेदक के पास निम्न भूमि, भूमिस्वामी की हैसियत से दर्ज है :-

(अ) ग्राम पड़रिया, प0ह0नं0 63, रा0नि0मं0 बरगी तहसील व जिला जबलपुर, खसरा नंबर 241 रकवा 2.870 है. है।

(ब) मौजा बरबटी प0ह0नं0 63, रा0नि0मं0 बरगी, तहसील व जिला जबलपुर, खसरा नंबर 96 रकवा 0.05 हे0 है।

(2) यह कि, आवेदक ने उपरोक्त भूमि में से 0.800 हे0 (1.97 एकड़)